

संदर्भ Ref.:नि.से.वि. ISD/75/2025-26

दिनांक Date: June 17, 2026

बीएसई लिमिटेड BSE Ltd. बीएसई लिस्टिंग सेंटर BSE Listing Centre स्क्रिप कोड Scrip Code - 532 477	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड National Stock Exchange of India Ltd. निप्स NEAPS स्क्रिप कोड Scrip Symbol-UNIONBANK-EQ सिक्योरिटी Security - UBI-AT/BB
---	---

महोदया Madam /महोदय Sir,

**Subject: Notice of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank.**

**Ref. : Our earlier letter ref. no. ISD/56/2026-27 dated May 27,2026**

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit the Notice of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank.

Thanking you.

भवदीय Yours faithfully,

**(Ashish Mishra)**  
**Company Secretary**

Encl. As above.

## 24<sup>वीं</sup> वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की **24<sup>वीं</sup> (चौबीसवीं) वार्षिक महासभा बैठक ("एजीएम")** **शुक्रवार, 10 जुलाई, 2026 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)** केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थान) में **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम)** सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित मदों के लिए आयोजित की जाएगी:

### सामान्य मद:

#### मद क्र. 1

दिनांक **31 मार्च, 2026** के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन एवं समेकित लाभ व हानि खाते, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक के कार्य एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अभिग्रहण हेतु चर्चा।

#### मद क्र. 2

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर पर ₹5/- का लाभांश घोषित करने हेतु।

### विशेष मद:

#### मद क्र. 3

**बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार नवीन इक्विटी शेयर जारी कर और/ या अतिरिक्त टियर-1 /टियर-2 पूंजी को जारी करने के माध्यम से बैंक के लिए पूंजी जुटाना।**

**विचारोपरान्त उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:**

**"संकल्प किया कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम") की धारा 3 (2बी) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ("योजना") के खंड 20 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 ("विनियमन") एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्वधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 [सेबी (आईसीडीआर) विनियमन] यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता बाधताएं एवं

प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियमन] यथा संशोधित, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियमन, 2021 यथा संशोधित, सेबी (अपरिवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021, यथा संशोधित, विदेशी विनियम प्रबंधन [भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण] विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू विधियों और समय-समय पर अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों की अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं समरूप सूचीबद्धता समझौते के अधीन है। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए समरूप, करारों के अनुसरण में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्वधीन बैंक के सदस्यों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को एतद्वारा प्रदान की जाती है कि वह एक या एक से अधिक बार में निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन **राशि जो कि ₹8,000 करोड़ (रुपए आठ हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो** की पूंजी का भारत या भारत के बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से कर सकते हैं, बशर्ते:

- ऐसे इक्विटी शेयर और/अथवा अधिमान शेयर (चाहे संचयी या नहीं; इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या नहीं), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिसमें अधिमान शेयरों की श्रेणी, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी करने की सीमा, बेमियादी अथवा प्रतिदेय, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयरों को जारी किए जाने और/ या अनुमत प्रतिभूति जो इक्विटी में परिवर्तन के पात्र हैं और नकद में नहीं, के अध्वधीन (चाहे बाजार दर, निर्गम दर या न्यूनतम दर से छूट या प्रीमियम पर हो) **राशि जो कि ₹3000 करोड़ (रुपए तीन हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो** के इक्विटी शेयर जो **₹7633.60 करोड़ (रुपए सात हजार छः सौ तैतीस करोड़ एवं साठ लाख मात्र)**, की विद्यमान चुकता इक्विटी शेयरपूंजी सहित बैंक के कुल रु.10,000 करोड़ (रुपए दस हजार करोड़ मात्र) की प्राधिकृत पूंजी के अध्वधीन होंगे, जो इस अधिनियम की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की अधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा तक, या भविष्य में अधिनियम में किए जाने वाले संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी की सीमा तक, इसमें जो भी अधिक है, इस प्रकार होगी कि किसी भी स्थिति में भारत सरकार हर समय बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी की कम से कम 51% अंशधारिता रखेगी।

➤ निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार में एक या अधिक बार में ऐसी संस्था के बेमीयादी ऋण लिखतों, अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स जिसमें गौण डिबेंचर्स, बॉण्ड और/ या अन्य ऋण प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए लेकिन इन तक ही सीमित न रहते हुए **राशि जो कि अतिरिक्त टियर-1 एवं/या टियर-2 बॉण्ड के रूप में ₹5000 करोड़ (रुपए पाँच हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो**, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित या वर्गीकृत टियर I या टियर II पूंजी (ग्रीन/इंफ्रास्ट्रक्चर/विदेशी मुद्रा नामित अतिरिक्त टियर I या टियर II बॉण्ड) के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है। एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (**“एनआरआई”**), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), सोसाइटियों, ट्रस्टों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (**क्यूआईबी**) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों (**“एफआईआई”**)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (**एफपीआई**), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हैं।

**“पुनः संकल्प किया** कि इक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) से हो सकता है; आगे सार्वजनिक ऑफर, प्रमोटर/प्रमोटर समूह के साथ या के बिना सार्वजनिक शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों के लिए उनके अधिकार का निर्गम, डिपॉजिटरी रसीद/एडीआर/जीडीआर, इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी स्थानन, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं या बैंक के कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना या इनके समूहित रूप निर्गम के ऐसे अन्य माध्यम जैसे कि लागू विधि के अनुसार अधि-आबंटन सहित या बिना या ग्रीन शू विकल्प सहित या रहित के जरिये प्रदान किया होगा तथा ऐसा ऑफर, निर्गम, इक्विटी/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों का स्थानन या आबंटन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य पात्र दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए।”

**“पुनः संकल्प किया** कि उपर्युक्त निर्गम(मों) के संबंध में, बोर्ड को सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार होगा जो निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, इस तरीके से और जहां आवश्यक हों, लीड मैनेजरों और/ या हामीदारों और/ या अन्य परामर्शदाताओं और/या ऐसे नियम व शर्तों जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, अन्य

विनियमनों और किसी भी एवं सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार तय कर सकता है और/या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के विद्यमान शेयरधारक हैं या नहीं।”

**“पुनः संकल्प किया** कि सूचीबद्ध विनियमों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में “सम्यक प्राधिकारी” कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुरूप तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन बोर्ड अपने विवेकानुसार समय-समय पर एक या अधिक किस्तों में इक्विटी शेयर या वारंट के अलावा कोई भी प्रतिभूति निर्गम, प्रस्तावित या आबंटित कर सकता है, जो बाद की तिथि पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या विनिमेय योग्य हैं, इस तरह से कि भारत सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी पूंजी का 51% से कम नहीं रखती है, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय I में परिभाषित किया गया है, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय VI में उल्लेखित है, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के माध्यम से तथा ऐसे तरीके से और ऐसे मूल्य, नियमों एवं शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों या कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं जो उस समय प्रचलित हो सकते हैं।

**“पुनः संकल्प किया** कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अनुसार अर्हता-प्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में:

- प्रतिभूतियों का आबंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय I के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
- बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के विनियमन 176(1) के प्रावधान के अनुक्रम में सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत तक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है।
- प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तिथि, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुसार होगी।”

**“पुनः संकल्प किया** कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं सूचीबद्धता का अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे

## 24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड को होगा।”

“**पुनः संकल्प किया** कि एनआरआई/एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जैसा कि लागू हो सकता है, किन्तु अधिनियम एवं अन्य विनियामकों के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर, जैसा लागू हो।”

“**पुनः संकल्प किया** कि निर्गम किए जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998, यथासंशोधित, के अधीन होंगे तथा सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा, यदि कोई हो, ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप पात्र होंगे।”

“**पुनः संकल्प किया** कि निर्गमित इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्चेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“**पुनः संकल्प किया** कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य हेतु, बोर्ड को निवेशक संवर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक ट्रांच (किस्त) पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे सहित सार्वजनिक ऑफर की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“**पुनः संकल्प किया** कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों), एरेंजर(रों) तथा अन्य ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाएं करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो इक्विटी / प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये अधिकृत किया जाता है एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है।”

“**पुनः संकल्प किया** कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड, लीड मैनेजरों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों, निर्गम(मों) का फॉर्म, जिसमें निवेशक का वह संवर्ग शामिल है जिन्हें शेयर/ प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर प्रीमियम राशि/ वारंटो की प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या मोचन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, प्रतिभूतियों के निर्गम/ रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बही बंदी एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, के शर्तों को निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है।”

“**पुनः संकल्प किया** कि ऐसे उपरोक्त प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है।”

“**पुनः संकल्प किया** कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व घटक, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व घटक, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“**पुनः संकल्प किया** कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी या कोई प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है।”

### मद क्र. 4:

**श्री नितेश रंजन (डीआईएन: 08101030) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति**

**विचार करने के लिए एवं यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को, संशोधन(संशोधनों) सहित या बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित किया जाए:**

“संकल्प किया कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान तथा विनियम 17(1डी) के अनुसार, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पठित, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/4 (xi)/2024-बीओ.1 दिनांक 15 सितम्बर, 2025



द्वारा, श्री नितेश रंजन की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, उनके अधिसूचित कार्यकाल, जो 09 मार्च, 2026 को समाप्त हुआ, उससे आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर, अनुमोदित की जाती है।”

#### मद क्र. 5:

**श्री रामसुब्रमणियन एस (डीआईएन: 08747165) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति**

**सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प(पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:**

“संकल्प किया कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान के अनुसार, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पठित, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/4 (ii)/2024-बीओ.1 दिनांक 15 सितम्बर, 2025 द्वारा, श्री रामसुब्रमणियन एस की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, उनके अधिसूचित कार्यकाल, जो 20 नवम्बर, 2025 को समाप्त हुआ, से आगे उनकी अधिवर्षिता की तिथि 30 जून, 2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर, अनुमोदित की जाती है।”

#### मद संख्या 6:

**श्री आशीष पाण्डेय (डीआईएन: 09295107) की बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति**

**विचार करने के लिए एवं यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को, संशोधन(संशोधनों) सहित या बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित किया जाए:**

“संकल्प किया कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान के अनुसार, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पठित, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/3 (i)/2024-बीओ.1 दिनांक 30 सितम्बर, 2025 द्वारा, श्री आशीष पाण्डेय की बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति, पद ग्रहण की तिथि, अर्थात् 30 सितम्बर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर, अनुमोदित की जाती है।”

#### मद संख्या 7:

**श्री अमरेश प्रसाद (डीआईएन: 11522143) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति**

**विचार करने के लिए एवं यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को, संशोधन(संशोधनों) सहित या बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित किया जाए:**

“संकल्प किया कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान के अनुसार, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पठित, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/4(iii)/2024-बीओ.1 दिनांक 24 नवम्बर, 2025 द्वारा, श्री अमरेश प्रसाद की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति, पद ग्रहण की तिथि, अर्थात् 24 नवम्बर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 31 अक्टूबर, 2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर, अनुमोदित की जाती है।”

#### मद संख्या 8:

**बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में डॉ. देबाशीष प्रुष्टि (डीआईएन: 10655471) की नियुक्ति**

**उक्त विषय पर विचार करने तथा यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:**

“संकल्प किया कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी)ए के दूसरे प्रावधान, यथा संशोधित, तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ. सं. 6/2(v)/2022-बीओ.1 दिनांक 13 मई, 2026 द्वारा, 13 मई 2026 से प्रभावी, बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में, डॉ. देबाशीष प्रुष्टि के नामांकन को अगले आदेश तक, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर अनुमोदित किया जाए एवं एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

**निदेशक मंडल के आदेश से  
कृते यूनिन बैंक ऑफ इंडिया**

**स्थान: मुंबई  
दिनांक: 17.06.2026**

**(आशीष मिश्रा)  
कंपनी सचिव**

## 24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

### नोटिस

#### 1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

#### 2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक का संचालन

ए. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र. 09/2024, दिनांक 22 सितंबर, 2025 के अनुसार एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियमन"), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण क्र. एफ. सं. 7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई, 2020 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक महासभा बैठक (एजीएम) का आयोजन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। वार्षिक महासभा बैठक के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा। कारोबार मद क्र. 3 में वर्णित विशेष कारोबार अपरिहार्य होने के कारण 24वीं एजीएम वीसी/ओएवीआईएम के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

बी. बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है।

सी. केफिन टेक्नोलोजीज लिमिटेड (केफिनटेक) द्वारा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

डी. एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.bank.in](http://www.unionbankofindia.bank.in), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ई. चूंकि वार्षिक महासभा बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है।

एफ. सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक महासभा बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात् 10.45 पूर्वाह्न [आईएसटी] से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है। वीसी/ओएवीएम में जुड़ने के लिए नोटिस पैरा क्र. 16(vii) में वर्णित क्रेडेंशियल के साथ कृपया <https://emeetings.kfintech.com> पर जाएं। बैठक के पहले या उसके दौरान तकनीकी से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 का उपयोग किया जा सकता है।

जी. सदस्य नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी। एमसीए परिपत्रों के अनुसार बड़े शेयरधारकों (अर्थात् शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक, संवीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त की बाध्यता के बिना वार्षिक महासभा बैठक में शामिल हो सकते हैं। संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 24वीं वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एच. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी।

आई. वार्षिक महासभा बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान **बुधवार, 8 जुलाई, 2026 को शाम 5 बजे** तक किया जा सकता है। स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com> पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें। बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा सं. 12 में प्रदत्त अनुसार अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल पता से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/फोलिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि [investorservices@unionbankofindia.bank.in](mailto:investorservices@unionbankofindia.bank.in) भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बैठक के दौरान

सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रूप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं।

जे. वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिक: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करके वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं।

के. भौतिक रूप से धारित शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कटऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** से पूर्व बैंक विवरण, ईमेल पता, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित शेयरधारक सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा। इसलिए, शेयरधारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे।

### 3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तदनुसार, वार्षिक महासभा बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसलिए, परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में लिखत एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है। हालांकि, सदस्यों के प्रतिनिधियों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से नियुक्त किया जा सकता है।

### 4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कंपनी या कोई निकाय निगम, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को [mail@csraginichokshi.com](mailto:mail@csraginichokshi.com) पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक की कार्यसमाप्ति तक या उससे पूर्व अर्थात् **शनिवार, 4 जुलाई, 2026 शाम 5.00 बजे तक** प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

### 5. बही बंदी

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण बही, एजीएम तथा लाभांश के भुगतान, यदि वार्षिक महासभा बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाता है, के उद्देश्य हेतु **शनिवार 4 जुलाई, 2026 से शुक्रवार, 10 जुलाई, 2026 (दोनों दिनों सहित)** तक बंद रहेगी।

### 6. अदावाकृत/अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदावाकृत/अदत्त लाभांश के भुगतान के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) या बैंक की निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क करें।

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जाएगा।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाना अपेक्षित है। जबकि, बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2021-22 से अदत्त लाभांश के विवरण के लिए, शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा पर जा सकते हैं: <https://eremit.unionbankofindia.bank.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomList.aspx>

अदावाकृत लाभांश का दावा करने की प्रक्रिया और अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध कराए गए हैं।

### 7. पता/ बैंक विवरण/ बैंक खाता अधिदेश/ नामांकन का परिवर्तन

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/ मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिशेषों, नामांकनों, मुख्तारनामा, बैंक विवरणों जैसे बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, को सूचित करें,

ए. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए: संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) को

बी. भौतिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए: बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) हेतु निर्धारित **फॉर्म आईएसआर-1** में तथा सेबी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/ एमआईआरएसडी/

### 24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एमआईआरएसडी\_पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 में निर्दिष्ट अन्य फॉर्म. बैंक ने अपेक्षित विवरणों को प्रदान करने के लिए कारोबार रिप्लाइ एनवेलप (बीआरई) सहित पत्रों को भेजा है।

सी. उक्त सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। सदस्यों जिन्होंने अब तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि **फॉर्म एसएच-13** जमा कर इसे पंजीकृत करें। यदि कोई सदस्य अपना नामांकन वापस लेना चाहता है या पूर्ववर्ती नामांकन को रद्द करना चाहता है तथा नवीन नामांकन रिकॉर्ड करना चाहता है, वह **फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14**, जैसा भी मामला हो, में इसे जमा कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि यदि सदस्यों द्वारा धारित शेयर अमूर्तिकृत रूप में हैं तथा बैंक के आरटीए में शेयरों के भौतिक रूप में धारित किए जाने की स्थिति में, उक्त विवरणों को उनके डीपी में प्रस्तुत करें।

बैंक के आरटीए का पता:

**केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड,**

यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबावली,

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकमगुडा

हैदराबाद – 500 032

दूरभाष.: 040 – 67162222

डी. उपरोक्त वर्णित फॉर्म बैंक के वेबसाइट <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information> पर उपलब्ध हैं।

ई. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों को पते में परिवर्तन करने हेतु बैंक को या बैंक के आरटीए के स्थान पर केवल उनके संबंधित निक्षेपागार सहभागी को सुझाव भेजना चाहिए।

एफ. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के आरटीए से किसी संप्रेषण में उनके संबंधित फोलियो नंबर/रों (भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले) तथा उनके संबंधित डीपी आईडी/ क्लार्क नंबर (इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रूप में शेयर धारित करने वाले) का उल्लेख करें।

### 8. निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में अमूर्तिकृत रूप में प्रतिभूतियां जारी करना और शेयरों के प्रेषण हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण

सदस्य कृपया नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी\_आरटीएएमबी पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022, जो कि एचओ/38/13(3)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/1/3763/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के साथ पठित है, के माध्यम से सूचीबद्ध

संस्थाओं को निम्नलिखित सेवा अनुरोधों के प्रसंस्करण के दौरान प्रतिभूतियों को केवल अमूर्तिकृत रूप में जारी करना अनिवार्य किया है, अर्थात:

- अनुलिपि प्रतिभूतियाँ प्रमाणपत्र निर्गम करना;
- अदावाकृत उचित खाते से दावा;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/ विनियम;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र /फोलियो का समेकन;
- प्रेषण तथा प्रतिस्थापन।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त सेवा अनुरोध के लिए **फॉर्म आईएसआर-4** को विधिवत भर कर तथा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information> पर उपलब्ध है। यह नोट किया जा सकता है कि कोई भी सेवा अनुरोध केवल फोलियो के केवाईसी अनुपालित होने के बाद ही प्रसंस्कृत किया जा सकता है। शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि शेयरों के प्रेषण के संबंध में सेबी द्वारा सरलीकृत प्रक्रियाओं का पालन करें।

### 9. स्थिति के परिवर्तन की रिकॉर्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को तत्काल सूचित करें:

- ए) स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवास स्थिति में परिवर्तन।
- बी) भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण, पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित, यदि पहले न दिया गया हो।

### 10. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

प्राधिकारियों द्वारा अनुमति के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 की प्रतियाँ भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएंगी तथा यह ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिन्होंने बैंक या डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत किया है। वार्षिक रिपोर्ट बैंक तथा स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। ईमेल आईडी को अद्यतन करने हेतु शेयरधारक भौतिक शेयर के मामले में रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट या डिजिटल रूप शेयर के मामले में निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं।

## 11. कट ऑफ/ रिकॉर्ड तिथि

### ई-वोटिंग के लिए:

कंपनी [प्रबंधन एवं प्रशासन] नियम, 2014 के नियम 20, यथासंशोधित, के अनुसार कारोबार मद क्र. 1 से 8 के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों को **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** तक मान्यता दी जाएगी।

## 12. लाभांश का भुगतान

यदि लाभांश, निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत के अनुरूप, एजीएम में घोषित होता है, तो स्त्रोत पर कर की कटौती के अधीन ऐसे लाभांश का भुगतान **सोमवार, 20 जुलाई, 2026** से निम्नानुसार किया जाएगा:

- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल"), संयुक्त रूप से "डिपॉजिटरीज़" द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अमूर्तिकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभप्रद स्वामियों को लाभांश का भुगतान **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को कार्यसमाप्ति तक किया जाएगा।
- उन सभी सदस्यों को जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध है और उन्होंने वैध प्रेषण या प्रतिस्थापन अनुरोध को **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को कारोबार अवधि की समाप्ति तक बैंक के साथ दर्ज किया है।

वित्त अधिनियम, 2026 के अनुसार, लाभांश आय 01 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगी और बैंक को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) के अंतर्गत शेयरधारकों (छूट प्राप्त श्रेणी के शेयरधारकों को छोड़कर) को भुगतान किए गए लाभांश पर, प्रति शेयरधारक ₹10,000 से अधिक लाभांश के भुगतान के सापेक्ष (निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए) पै न आधार पर, निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए कृपया आयकर अधिनियम, 2025 तथा उसमें किए गए संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना वैध पै न डीपी (यदि शेयर अमूर्तिकृत रूप में धारित हैं) तथा बैंक/बैंक के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) के साथ अद्यतन करें।

## 13. वोट देने का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्र सरकार के अलावा, तदनुसूची नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में** वोट देने का अधिकारी नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो **कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 3 जुलाई 2026** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जाएगा। इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा।

## 14. लेखों एवं अन्य संबंधित प्रश्नों पर जानकारी

शेयरधारक जो लेखों एवं अन्य संबंधित क्रेरी पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे बैंक को [investorservices@unionbankofindia.bank.in](mailto:investorservices@unionbankofindia.bank.in) पर मेल करें, जो बैंक को वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से पूर्व **बुधवार, 8 जुलाई, 2026 को शाम 5 बजे तक** प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा यह सूचना तैयार रखी जा सके। जवाब केवल एजीएम के दौरान ही दिए जाएंगे। कृपया नोट करें कि केवल उन्हीं सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे जो कट-ऑफ तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को शेयरधारक हैं।

साथ ही, शेयरधारकों जो कट-ऑफ तिथि को शेयर धारक हैं वे वेबसाइट <https://emeetings.kfintech.com> पर भी जा सकते हैं और **"post your queries here"** पर क्लिक करके प्रश्न/क्रेरी को पोस्ट कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान विंडो सक्रिय हो जाएगा और **बुधवार, 8 जुलाई, 2026 को शाम 5 बजे** बंद हो जाएगा।

## 15. भौतिक धारिता का अमूर्तिकरण

सेबी ने अपनी अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 2022 के माध्यम से अधिदेश दिया है कि प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु प्रेषण एवं रूपांतर अनुरोधों सहित सभी अनुरोधों को केवल अमूर्तिकृत फॉर्म में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए एवं भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और अमूर्तिकरण के विभिन्न लाभों को उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को अमूर्तिकृत करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

## 16. नोटिस में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:

- कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा महासभा बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक महासभा बैठक में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक

**24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना**

- महासभा बैठक में शामिल सदस्य को बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है।
- ii. वोटिंग की सुविधा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान भी उपलब्ध रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
  - iii. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक महासभा बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं दे सकेंगे।
  - iv. शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा वार्षिक महासभा बैठक से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का प्रयोग कर एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी।
  - v. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 7 जुलाई, 2026 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी)** से प्रारम्भ होकर **गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, भौतिक या अमूर्तकृत फॉर्म में शेयर धारित करते हों, कारोबार मद क्र. 1 से 8 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा कट ऑफ तिथि **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को अपना वोट कर सकते हैं। इसके पश्चात केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग

- मॉड्यूल को वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब एक शेयरधारक संकल्प पर अपना वोट कर देते हैं, उसके बाद शेयरधारक को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- vi. कोई व्यक्ति जो वार्षिक महासभा बैठक की सूचना भेजने के पश्चात बैंक का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल [investorservices@unionbankofindia.bank.in](mailto:investorservices@unionbankofindia.bank.in) पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक [evoting@kfintech.com](http://evoting@kfintech.com) को रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले अर्थात **गुरुवार, 9 जुलाई, 2026 को शाम 5.00 बजे से पूर्व** लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
  - vii. रिमोट ई-वोटिंग एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, **डीमैट मोड** में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरीज सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें।

**वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) – डिपॉजिटरी के जरिए लॉगिन**

एनएसडीएल	सीडीएसएल
<p><b>1. उपयोगकर्ता आईडीईएस सुविधा के लिए पहले ही पंजीकृत है:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. यूआरएल: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a></li> <li>II. 'आईडीईएस' सेक्शन में "बेनीफिसियल ओनर" आइकॉन को क्लिक करें।</li> <li>III. नए पेज पर, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सट्रानेट ई-वोटिंग" पर क्लिक करें।</li> <li>IV. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने के लिए आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।</li> </ul>	<p><b>1. मौजूदा उपयोगकर्ता जो ईजी/इजीयस्ट (Easi/Easiest) का विकल्प लिया है</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. URL: <a href="https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login</a> अथवा यूआरएल: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a></li> <li>II. नई प्रणाली माईईजी (Myeasi) पर क्लिक करें।</li> <li>III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें।</li> <li>IV. आगे बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा।</li> <li>V. अपना वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।</li> </ul>
<p><b>2. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a></li> <li>II. "आईडीईएस" के लिए "ऑनलाइन पंजीयन" चयन करें।</li> <li>III. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें।</li> </ul>	<p><b>2. उपयोगकर्ता ईजी/इजीयस्ट ई-सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. पंजीकरण का विकल्प <a href="https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration">https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration</a> पर लिंक उपलब्ध है।</li> <li>II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें।</li> </ul>
<p><b>3. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं</b></p>	<p><b>3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं</b></p>



- I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें:  
<https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp>
- II. वांछित फ़ील्ड भर कर आगे बढ़ें।
- I. यूआरएल: [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)
- II. डिमैट खाता संख्या एवं पैन सं. प्रदान करें।
- III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल, जैसा डिमैट खाते में रिकॉर्ड है, पर ओटीपी भेज कर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकृत करेगा।
- IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) के लिए लिंक उपलब्ध कराएगा जहां पर ई-वोटिंग चल रही है।



#### 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं।

- I. यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- II. "शेयरधारक/सदस्य" सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकॉन को क्लिक करें।
- III. उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ 16-अंकों का डिमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी एवं प्रमाणीकरण कोड, जैसा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रविष्ट करें।
- IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँच जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग का पेज देख सकते हैं।
- V. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।



#### महत्वपूर्ण नोट:

सदस्य जो अपना यूजर आईडी /पासवर्ड पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड के विकल्प का उपयोग करें।

**डिमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क**

**सदस्य जिनको कोई तकनीकी समस्या आ रही है - एनएसडीएल**

लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज कर या 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

**सदस्य जिनको कोई तकनीकी समस्या आ रही है - सीडीएसएल**

लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर अनुरोध भेज कर 022-6234626, 022-6234624 या 022-62343611 पर संपर्क कर सकते हैं।

#### वैयक्तिक शेयरधारकों (डिमैट मोड में प्रतिभूतियां धारित करनेवाले) - डिपॉजिटरी सहभागी के जरिए लॉगिन

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डिमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। एकबार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपके सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।

### 24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

#### भौतिक रूप से धारित प्रतिभूतियों के शेयरधारकों एवं गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति

- ए. ईमेल के मसौदे में प्रारंभिक पासवर्ड प्रदान किया गया है।
- बी. इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रेस बार में <https://evoting.kfintech.com> यूआरएल टाइप करें।
- सी. आपके ई-मेल आईडी में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल अर्थात यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लॉईट आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा। हालांकि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण किया है तो अपना वोट देने के लिए आप मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- डी. उचित तरीके से विवरण प्रविष्ट करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- ई. आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा। नया पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरक्टर का हो जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकिय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@,#,\$ आदि) होने चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- एफ. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा।
- जी. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा।
- एच. वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और 'FOR'/'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' एवं आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक 'FOR' और/या 'AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी।
- आई. 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। पुष्टि हेतु 'OK' पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें। एकबार पुष्टि हो जाने के बाद आपको अपने वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग अवधि के दौरान, जब तक आप पुष्टि नहीं करते कि संकल्प पर आपने वोट किया है, तब तक आप अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं।
- जे. ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डिमेट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डिमेट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।

- के. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी जो [mail@csraginichokshi.com](mailto:mail@csraginichokshi.com) ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें। उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'EVENT No.....' के प्रारूप में रखें।
- viii. यदि आपको ई-वोटिंग से संबंधी कोई केरी या समस्या है तो आप हेल्प सेक्शन के अंतर्गत <https://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
- ix. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) पर ई-मेल भेजे या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026** को शेयरधारक के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग द्वारा वार्षिक महासभा बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा।
- xi. संयुक्त धारक के मामले में, शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा। तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया जाएगा। प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है।
- xii. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए।
- xiii. मेसर्स रागिनी चोकशी एवं कंपनी की सुश्री रागिनी चोकशी या श्री उमा शंकर हेगड़े, पेशेवर कंपनी सचिव की नियुक्ति जांचकर्ता के रूप में की गयी है ताकि वे सत्य एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट की वोटिंग कार्यपद्धति की जांच कर सकें।
- xiv. बैठक के अध्यक्ष, वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के बाद वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।



xv. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक महासभा बैठक में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में दिए गए कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।

### 17. वोटिंग के परिणाम

वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट अर्थात [www.unionbankofindia.bank.in](http://www.unionbankofindia.bank.in) तथा केफिनटेक की वेबसाइट अर्थात <https://evoting.kfintech.com> पर प्रस्तुत किया जाएगा। वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई एवं एनएसई को संप्रेषित किए जाएंगे।

### 18. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता

ई-वोटिंग के लिए जैसा पूर्व में इंगित किया गया है, मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव एवं बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक, से

सुश्री रागिनी चोकसी या श्री उमा शंकर हेगड़े, सभी कारोबार मदों के संबंध में जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगी/करेंगे। वे बैठक में किए जाने वाले ई-वोटिंग के लिए एक अन्य शेरधारक के साथ मिलकर जांचकर्ता के रूप में भी कार्य करेंगी/करेंगे।

### 19. बैठक के परिणाम

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अधीन संकल्प(पों) को पारित माना जाएगा।

### 20. रिकॉर्ड की गई ट्रांस्क्रिप्ट

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित वार्षिक महासभा बैठक की कार्यवाही को निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.bank.in](http://www.unionbankofindia.bank.in) पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

## 24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

### व्याख्यात्मक विवरण

#### मद क्रमांक 3:

#### पूंजी जुटाना:

बैंक, बैंकिंग कारोबार एवं उससे संबद्ध सेवा गतिविधियों में शामिल है। वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹10,000 करोड़ है। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹7,633.60 करोड़ रही।

बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल चुकता पूंजी का **74.76%** है। यथा 31 मार्च, 2026 को जोखिम भारित आस्तियों का पूंजी निधि निम्नानुसार रहा:

पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III			
(₹ करोड़ में)			
पैरामीटर	दिनांक 31 मार्च, 2026 आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
		कुल जोखिम भारित आस्तियां	7,03,920
कुल पूंजी निधि	लागू नहीं	1,26,825	1,26,825
सीईटी 1 पूंजी		1,05,465	1,05,465
टियर 1 पूंजी		1,14,336	1,14,336
सीआरएआर (%)	11.50	18.02	18.02
सीईटी 1 (%)	8.00	14.98	14.98
टियर 1 (%)	9.50	16.24	16.24
टियर 2 (%)	लागू नहीं	1.77	1.77

नोट: आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क में सीआरएआर, सीईटी 1 एवं टियर 1 अनुपात में 2.50 प्रतिशत का सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) शामिल है। टियर 1 अनुपात के लिए कोई न्यूनतम नहीं है।

कारोबार आस्तियों के विस्तार हेतु बासेल III दिशानिर्देशों के अंतर्गत पूंजी एवं लीवरेज अनुपात अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए और विकास अनुमानों के आधार पर, आपके निदेशकों ने **₹ 8,000 करोड़ (रूपये आठ हजार करोड़ केवल)** की पूंजी जुटाने का निर्णय लिया है।

बैंक के विनियामकीय अनुपालनों को सुनिश्चित करने तथा लक्षित कारोबार वृद्धि के विस्तार और उसे प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पूंजी निधियों की आवश्यकता को पूरा करने एवं सामान्य ऋण देने के उद्देश्यों के लिए, बैंक सार्वजनिक निर्गम (अर्थात आगे का सार्वजनिक प्रस्ताव) और/या अधिकार निर्गम तथा/या निजी नियुक्ति, जिसमें योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और/या कर्मचारी शेयर खरीद योजना और/या भारत सरकार तथा/या अन्य संस्थाओं को वरीयतापूर्ण आवंटन तथा/या अन्य किसी माध्यम/माध्यमों के जरिए, भारत सरकार और अन्य विनियामक प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार, इक्विटी शेयर पूंजी जुटा सकता है। वर्धित पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य कारोबार उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

यदि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम क्यूआईपी के माध्यम से किया जाता है, तो यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा।

बैंक एक या एक से अधिक भागों में निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर गौण डिबेंचर, बॉण्ड और/या अन्य ऋण प्रतिभूतियों / ग्रीन बॉण्ड आदि सहित लेकिन इन तक सीमित नहीं, स्थायी ऋण लिखतों, अपरिवर्तनीय डिबेंचर की ऐसी संख्या बढ़ा सकता है, जिसे सेबी (अपरिवर्तनीय प्रतिभूति निर्गम एवं सूचीबद्ध करना), विनियमन, 2021 के साथ अनुपालन में और आरबीआई द्वारा टियर I और टियर II के रूप चिह्नित एवं वर्गीकृत करने के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 41(4) के अनुसार यदि बैंक द्वारा आगे कोई निर्गम या ऑफर जारी किया जाता है, तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर इन्हें ऑफर किया जाएगा, यदि सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने अन्यथा निर्णय न लिया हो। उक्त प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में, यह बैंक की ओर से बैंक के निदेशक मंडल को अन्यथा न होने की स्थिति में वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर शेयर जारी एवं आर्बटित करने के लिए अनुमति देगा।

उपर्युक्त कारणों के लिए, अतः एक संकल्प पारित करना प्रस्तावित है जिसमें बोर्ड पर्याप्त लचीलापन और विवेक से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप दे सके।

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उचित समय, माध्यम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर/बॉण्ड निर्गम कर सकें। एकबार पारित होने के बाद यह प्रस्तावित संकल्प बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2025 को आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में इसी तरह से पूर्व में पारित संकल्प का स्थान लेगा।

विशेष संकल्प के अनुरूप इक्विटी शेयरों और या बॉण्ड का प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

आपके निदेशक नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को बैंक में शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, संकल्प में इच्छुक या सम्बद्ध नहीं माना जाएगा।

#### मद संख्या 4:

#### श्री नितेश रंजन (डीआईएन: 08101030) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति

भारत सरकार द्वारा श्री नितेश रंजन (डीआईएन: 08101030) को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के अंतर्गत, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/3/2020-बीओ.1 दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा, पद ग्रहण की तिथि अर्थात 10 मार्च, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे, भारत सरकार

की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के अनुसार, श्री नितेश रंजन का कार्यकाल, जो दिनांक 09.03.2024 को समाप्त हुआ, से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 09.03.2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है। आगे, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/4(xi)/2024 दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के अनुसार, श्री नितेश रंजन का कार्यकाल, जो दिनांक 09.03.2026 को समाप्त हुआ, से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 09.03.2029 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान तथा विनियम 17(1डी) के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री नितेश रंजन की पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री नितेश रंजन वर्तमान में ट्रेजरी, मानव संसाधन एवं ज्ञानार्जन एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल कारोबार, सहायक सेवाएं विभाग एवं कॉर्पोरेट संप्रेषण तथा प्रापण विभाग का कार्य देख रहे हैं। वे बैंक के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं तथा तुलन पत्र अनुकूलन, ग्राहक अनुभव और मानव संसाधन विकास के लिए कार्यनीतिक पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं। कारोबार परिणामों को दिशा देते हुए, वे जोखिम और अनुपालन मानकों के निरंतर सुदृढ़ीकरण पर बल देते हैं।

वर्ष 2008 से यूनिन बैंक ऑफ इंडिया के साथ संबद्ध, उन्होंने ट्रेजरी परिचालन एवं कार्यनीति के प्रमुख, मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी, मुख्य अर्थशास्त्री तथा क्षेत्र प्रमुख सहित प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में की और बाद में आंध्रा बैंक के साथ कार्य किया।

वे आईबीए की पीएसबी सुधारों पर संचालन समिति के सदस्य हैं। पूर्व में वे एनपीसीआई, एसयूडी लाइफ इश्योरेंस कंपनी, स्विफ्ट इंडिया, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड और फिमडा के बोर्ड में कार्य कर चुके हैं तथा इंडिया फॉरेक्स समिति (आईएफएक्ससी) के संस्थापक सदस्य रहे हैं।

श्री रंजन ने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और आईआईएम बैंगलूरू के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी पूर्ण किया है। उन्होंने सामाजिक पहलों में भी योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने वंचित युवाओं के लिए टीच इंडिया के स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम हेतु 100 दिन समर्पित किए हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता/अध्यक्षता: शून्य

- यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: 6725 इक्विटी शेयर
- बैंक के कारोबार के संदर्भ में श्री नितेश रंजन के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तथा उसी के अनुसार बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री नितेश रंजन के अतिरिक्त, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके परिजनों का उक्त संकल्प में किसी भी प्रकार का हित या संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए इस सामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है।

#### मद संख्या 5:

#### श्री रामसुब्रमणियन एस (डीआईएन: 08747165) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति

भारत सरकार द्वारा श्री रामसुब्रमणियन एस (डीआईएन: 08747165) को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/6/2021-बीओ.1 दिनांक 21 नवम्बर, 2022 द्वारा, पद ग्रहण की तिथि अर्थात् 21 नवम्बर, 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/4(ii)/2024 दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के अनुसार, श्री रामसुब्रमणियन एस का कार्यकाल, जो 20 नवम्बर, 2025 को समाप्त हुआ, से आगे उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 30 जून, 2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी)ए के द्वितीय प्रावधान के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान शर्तों एवं नियमों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रामसुब्रमणियन एस की पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री रामसुब्रमणियन एस वर्तमान में खुदरा, एमएसएमई, कृषि, रूसू एवं एफआई तथा गोल्ड, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल, बोर्ड सचिवालय, कार्यनीति, सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम जिसमें एसीओई, सेंट्रल रिपॉजिटरी एवं एमआईएस, ईएएसई तथा सीईए (बैंकिंग अनुसंधान) विभाग का कार्य देख रहे हैं।

यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पूर्व, श्री रामसुब्रमणियन एस केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक थे। उनके पास बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई/रिटेल क्रेडिट, इंटरनेशनल क्रेडिट तथा फॉरेक्स में 28 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ सीएआईआईबी योग्यता प्राप्त की है।

### 24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

अपने बैंकिंग करियर के दौरान, उन्होंने विभिन्न स्थानों एवं शाखा श्रेणियों में कार्य किया है, जिसमें प्राइम कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग, लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ तथा केनरा बैंक की हांगकांग शाखा और प्रधान कार्यालय सहित प्रशासनिक कार्यालय सम्मिलित हैं।

वे शीर्ष कार्यपालक ग्रेड अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (पूर्व में बैंक बोर्ड ब्यूरो) द्वारा आयोजित लीडरशिप डेवलपमेंट स्ट्रेटजी प्रोग्राम में भाग लिया। वे आईबीए की कॉर्पोरेट क्रेडिट स्थायी समिति में भी रहे हैं। उन्हें कोविड से संबंधित ऋण पुनर्संरचना पर कामथ समिति में भाग लेने हेतु नामित किया गया था। वे संचालन और प्रशासन दोनों में समान रूप से पारंगत हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता/अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेरधारिता: शून्य
- बैंक के कारोबार के संदर्भ में श्री रामसुब्रमणियन एस के कौशल/ विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तथा उसी के अनुसार बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री रामसुब्रमणियन एस के अतिरिक्त, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके परिजनों का उक्त संकल्प में किसी भी प्रकार का हित या संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए इस सामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है।

#### मद क्रमांक 6

#### श्री आशीष पाण्डेय (डीआईएन: 09295107) की बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्ति

श्री आशीष पाण्डेय (डीआईएन: 09295107) को भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अर्जन) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के अंतर्गत, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/3 (i)/2024-बीओ, दिनांक 30 सितंबर, 2025 के माध्यम से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 30 सितंबर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए मान्य है। तदनुसार, श्री आशीष पाण्डेय 30 सितंबर, 2025 से प्रभावी रूप से बैंक के निदेशक मंडल में एमडी एवं सीईओ का पद संभालते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी)(ए) के दूसरे उपबंध के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति को, बैंक के शेरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों एवं शर्तों पर श्री आशीष पाण्डेय को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए शेरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

श्री आशीष पाण्डेय एक अनुभवी बैंकर हैं, जिन्हें 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूर्ववर्ती कॉरपोरेशन बैंक से की थी। वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं।

श्री पाण्डेय के पास ऋण, ऋण अनुश्रवण, ट्रेजरी एवं मर्चेन्ट बैंकिंग, विदेशी लेनदेन एवं संयुक्त उपक्रमों, विपणन एवं ग्राहक संबंधों तथा बैंकिंग परिचालन जैसे विविध क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। एक तकनीकी रूप से दक्ष बैंकर होने के नाते, उन्होंने विचारों और नवाचारों को अपनाते हुए सफल डिजिटल बैंकिंग रूपांतरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ई-आंध्रा बैंक और ई-कॉरपोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय के दौरान सी-इंजीनियरिंग, सामंजस्य, स्वचालन तथा डिजिटलीकरण में भी अहम भूमिका निभाई है।

श्री पाण्डेय मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने वित्त एवं विपणन में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर भी किया है। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरू के पूर्व छात्र हैं। वे भारतीय बैंकिंग संस्थान के प्रमाणित सहयोगी भी हैं। श्री पाण्डेय ने आईआईएम रोहतक द्वारा 2023 में आयोजित स्ट्रेटिजिक डिजिटल मार्केटिंग एवं एनालिटिक्स पर एकजीक्यूटिव प्रोग्राम तथा एगॉन ज़ेंडर द्वारा हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग के सहयोग से आयोजित डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम-2023 भी पूरा किया है। उन्होंने आईआईएम बेंगलूरू द्वारा आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा आईडीआरबीटी, हैदराबाद द्वारा आयोजित आईटी एवं साइबर सुरक्षा पर वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूरा किया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच आपसी संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में/सदस्यता/अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेरधारिता: 4500 इक्विटी शेर
- बैंक के कारोबार के संदर्भ में श्री आशीष पाण्डेय की कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की गई है और इसी के अनुरूप बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री आशीष पाण्डेय को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं उनके संबंधी किसी भी प्रकार से इस प्रस्ताव में हितयुक्त या संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु उक्तसामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है।

**मद क्रमांक 7:****श्री अमरेश प्रसाद (डीआईएन: 11522143) की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति**

श्री अमरेश प्रसाद (डीआईएन: 11522143) को भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के अंतर्गत, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/4(iii)/2024-बीओ, दिनांक 24 नवंबर, 2025 के माध्यम से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि, अर्थात् 24 नवंबर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 31 अक्टूबर, 2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। तदनुसार, श्री अमरेश प्रसाद 24 नवंबर, 2025 से प्रभावी रूप से बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के पद पर हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी)(ए) के दूसरे उपबंध के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों एवं शर्तों पर श्री अमरेश प्रसाद को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री अमरेश प्रसाद पंजाब नेशनल बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

श्री अमरेश प्रसाद के पास 32 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है, जिसमें शाखा बैंकिंग, अंचल कार्यालयों से लेकर प्रधान कार्यालय स्तर तक का कार्य अनुभव शामिल है। उनके अनुभव में कॉर्पोरेट ऋण, ऋण समीक्षा एवं अनुश्रवण, लेनदेन निगरानी आदि भी शामिल हैं।

वे रसायन विज्ञान में स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकिंग संस्थान से प्रमाणित सहयोगी (सीएआईआईबी) हैं।

श्री प्रसाद ने विभिन्न प्रशिक्षणों तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और एसबीआईएल कोलकाता में आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने वित्तीय सेवाएं संस्थान द्वारा आयोजित आरोहन 2023 एफएसआईबी कार्यक्रम भी पूर्ण किया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच आपसी संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता/ अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य

- बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमताओं के अनुसार श्री अमरेश प्रसाद की योग्यता की पहचान भारत सरकार द्वारा की गई है और इसी के अनुरूप बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री अमरेश प्रसाद को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी किसी भी प्रकार से इस प्रस्ताव में हितयुक्त या संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु उक्त सामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है।

**मद क्रमांक 8:****डॉ. देबाशीष प्रुष्टि (डीआईएन: 10655471) की बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति**

डॉ. देबाशीष प्रुष्टि (डीआईएन: 10655471) को भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (बी) के अंतर्गत, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 6/2(v)/2022-बीओ, दिनांक 13 मई, 2026 के माध्यम से बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है। यह नियुक्ति अधिसूचना की तिथि अर्थात् 13 मई, 2026 से प्रभावी है और अगले आदेश तक मान्य रहेगी। तदनुसार, डॉ. देबाशीष प्रुष्टि दिनांक 13 मई, 2026 से प्रभावी रूप से बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी)(ए) के दूसरे उपबंध के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों एवं शर्तों पर डॉ. देबाशीष प्रुष्टि को बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

डॉ. देबाशीष प्रुष्टि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं और वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास लोक वित्त, सतत विकास, विकास सहयोग तथा पर्यावरण एवं शहरी शासन के क्षेत्रों में नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन का 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

उन्होंने वर्ष 2015 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन प्रभाग में निदेशक के रूप में कार्य करते हुए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मंच की स्थापना हेतु विभिन्न देशों के साथ सहयोग एवं साझेदारी की भारत की पहल में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज़ में अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के दौरान, उन्होंने भारत की वार्ताकार टीम का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2016 में वे यूएनएफसीसीसी की स्थायी वित्त समिति के सदस्य भी रहे।

### 24वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

सेबी (सूचीबद्धता बाधताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच आपसी संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता/अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमताओं के अनुसार डॉ. देबाशीष प्रुष्टि की योग्यता की पहचान भारत सरकार द्वारा की गई है और इसी के अनुरूप बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक का नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

डॉ. देबाशीष प्रुष्टि को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी किसी भी प्रकार से इस प्रस्ताव में हितयुक्त या संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु सामान्य संकल्प की अनुशंसा करता है। बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी किसी भी प्रकार से इस प्रस्ताव में हितयुक्त या संबंधित नहीं हैं।

**निदेशक मंडल के आदेश से  
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

**स्थान : मुंबई**  
**दिनांक: 17.06.2026**

**(आशीष मिश्रा)**  
**कंपनी सचिव**



## NOTICE OF 24<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the **24<sup>th</sup> (Twenty Forth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of Union Bank of India ("**Bank**") will be held on **Friday, 10<sup>th</sup> July, 2026 at 11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) **through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)** facility to transact the following business:

### Ordinary Business:

#### Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as at **31<sup>st</sup> March 2026**, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

#### Item No. 2:

To declare Dividend of ₹ 5/- per Equity Share of ₹ 10/- each for the Financial Year 2025-26.

### Special Business:

#### Item No. 3

**Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a Special Resolution:

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("**Act**"), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("**Scheme**"), the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 ("**Regulations**") and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject

to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [**the SEBI (ICDR) Regulations**] as amended, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [**the SEBI (LODR) Regulations**] as amended, the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 as amended, the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India), Regulations, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of **the members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s)/prospectus or such other document(s), in India or abroad **for an aggregate amount not exceeding ₹ 8,000 Crore (Rupees Eight Thousand Crore only) subject to:**

- such number of equity shares and / or Preference Shares (whether Cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms and conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not for cash (whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price) **for an amount not exceeding ₹ 3,000 Crore (Rupees Three Thousand Crore only)** which together with the existing Paid-up Equity share

capital of ₹ 7633.60 crore (Rupees Seven Thousand Six Hundred Thirty Three Crore and Sixty Lakh only) will be within the total authorized capital of ₹ 10,000 crore (Rupees Ten Thousand Crore Only) of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, whichever is higher, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Share Capital of the Bank.

- such number of perpetual debt instruments, Non-convertible debentures including but not limited to Sub-ordinated Debentures, Bonds and / or other debt securities on private placement / public issue basis in one or more tranches which may classify for Tier-1 or Tier-2 Capital (including Green/Infrastructure/Foreign Currency Denominated Additional Tier-1/Tier-2 Bonds) as identified and classified by RBI, for an amount not exceeding ₹5,000 Crore (Rupees Five Thousand Crore only) as Additional Tier- 1 Bonds and / or Tier- 2 Bonds, to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Limited Liability Partnerships (LLPs), Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”)/ Foreign Portfolio Investors (“FPIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Alternate Investment Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are eligible to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above, as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity/preference shares/securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Further Public Offer, Rights Issue to public shareholders with or without promoter/promoter group shareholders forgoing their entitlement to equity shares, Depository Receipts/ADR/GDR, Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures, Employees Stock Option Schemes or Employee Stock Purchase Scheme of the Bank or such other mode of issue or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and

allotment of equity/preference shares/securities be made as per the provisions of the Act, RBI Guidelines, the SEBI ICDR Regulations and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department for Promotion of Industry and Internal Trade - Ministry of Commerce and Industry (DPIIT), Ministry of Finance and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Government of India at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter I of the SEBI (ICDR) Regulations pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the



### Notice of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting

SEBI (ICDR) Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations:

- The allotment of Securities shall only be made to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter I of the SEBI (ICDR) Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.
- The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of SEBI (ICDR) Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.
- The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs/FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the equity shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the

securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s), Arrangers(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** such of the aforesaid securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

**Item No. 4:**

**Reappointment of Shri Nitesh Ranjan (DIN: 08101030) as Executive Director of the Bank**

**To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:**

**“RESOLVED THAT** pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C)a and Regulation 17(1D) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, reappointment of Shri Nitesh Ranjan vide Government of India’s Notification eF.No. 4/4 (xi)/2024-BO.I dated 15<sup>th</sup> September 2025 as Executive Director of the Bank for a period of three years beyond his notified term which ended on 09<sup>th</sup> March 2026 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

**Item No. 5:**

**Reappointment of Shri Ramasubramanian S (DIN: 08747165) as Executive Director of the Bank**

**To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:**

**“RESOLVED THAT** pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with

Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, reappointment of Shri Ramasubramanian S vide Government of India’s Notification eF.No. 4/4 (ii)/2024-BO.I dated 15<sup>th</sup> September 2025 as Executive Director of the Bank beyond his notified term which ended on 20<sup>th</sup> November 2025 till the date of his superannuation on 30<sup>th</sup> June 2027 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

**Item No. 6:**

**Appointment of Shri Asheesh Pandey (DIN: 09295107) as Managing Director and CEO of the Bank**

**To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:**

**“RESOLVED THAT** pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Asheesh Pandey vide Government of India’s Notification eF.No. 4/3 (i)/2024-BO.I dated 30<sup>th</sup> September 2025 as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 30<sup>th</sup> September 2025 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

**Item No. 7:**

**Appointment of Shri Amresh Prasad (DIN: 11522143) as Executive Director of the Bank**

**To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:**

**“RESOLVED THAT** pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Amresh Prasad vide Government of India’s Notification eF.No. 4/4(iii)/2024-BO.I dated 24<sup>th</sup> November 2025 as Executive Director of the Bank for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 24<sup>th</sup> November 2025 or till the date of his attaining the age of superannuation i.e., 31<sup>st</sup> October 2028 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

**Notice of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting****Item No. 8:****Appointment of Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471) as Government Nominee Director of the Bank**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the nomination of Dr. Debasish Prusty vide Government of India’s Notification eF.No. 6/2(v)/2022-BO.I dated 13<sup>th</sup> May 2026 as Government Nominee Director of the Bank w.e.f. 13<sup>th</sup> May 2026 and until further orders, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

**By order of the Board of Directors  
For UNION BANK OF INDIA**

Place : Mumbai

(Ashish Mishra )

Date: 17.06.2026

COMPANY SECRETARY

**NOTES****1. EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

**2. HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

a. Pursuant to General Circular No. 03/2025 dated 22<sup>th</sup> September 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), Communication No. F. No. 7/47/2020-BOA dated 10<sup>th</sup> July 2020 of Ministry of Finance, Government of India, the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Central Office of the Bank situated at Mumbai. The Special business mentioned in the business Item Nos. 3 being unavoidable, be transacted at the 24<sup>th</sup> AGM of the Bank through VC/OAVM.

- b. The Bank is adhering to and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- c. KFin Technologies Limited (KFintech) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.
- d. In line with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM will be made available on the website of the Bank at [www.unionbankofindia.bank.in](http://www.unionbankofindia.bank.in), on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the website of KFintech at <https://evoting.kfintech.com>.
- e. As the AGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India.
- f. Members may participate in the AGM through VC/OAVM facility by following the procedure as mentioned below which shall be kept open for the Members from 10.45 AM (IST) i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the AGM and the Bank may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VC/OAVM please visit <https://emeetings.kfintech.com> with the credentials as mentioned in the notice para no. 16 (vii). The helpline toll free no. 1800.309.4001 may be used for assistance with the technology before or during the meeting.
- g. Members may note that the VC/OAVM Facility with two-way conferencing and also pose questions concurrently, provided by KFintech allows participation of atleast 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The large shareholders (i.e. shareholders holding 2% or more shareholding), promoter, institutional investors, directors, key managerial personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, auditors, scrutinizer etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-come- first-served principle as per the MCA Circulars. Institutional Investors who are Members of the Bank, are encouraged to attend and vote in the 24<sup>th</sup> AGM through VC/OAVM Facility.

- h. Attendance of the Members participating in the AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- i. Speaker shareholder registration before AGM may also be availed during the remote e-voting period latest by **5 PM on Wednesday, 8<sup>th</sup> July 2026**. Shareholders who wish to register as speaker are requested to visit <https://emeetings.kfintech.com> by using e-voting login credentials and click speaker registration during this period. Shareholders are requested to wait for their turn to be called by the Chairman of the meeting during the Question Answer session and coordination during the AGM. The Bank may have to dispense or curtail the speaker session; hence, shareholders are encouraged to send their relevant questions etc. in advance as provided in Notice Para No. 12 from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number /folio number and mobile number, on the Bank's email address [investorservices@unionbankofindia.bank.in](mailto:investorservices@unionbankofindia.bank.in). Such questions by the Members shall be taken up during the meeting and replied by the Bank suitably. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same.
- j. The Shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink:<https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx>
- k. Members holding shares in physical form are requested to furnish bank details, email address, change of address etc. to the Registrars and Transfer Agent M/s KFin Technologies Limited before the cut-off date i.e. **Friday, 3<sup>rd</sup> July 2026**, in order to take note of the same. In respect of members holding shares in electronic mode, the details as would be furnished by the Depositories as at the close of the aforesaid date will be considered by the Bank. Hence, members holding shares shall update their records at the earliest to enable us to send the Notice of AGM to their registered email id.

### 3. APPOINTMENT OF PROXY

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 will

not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

### 4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to [mail@csraginichokshi.com](mailto:mail@csraginichokshi.com), not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Saturday, 4th July 2026**.

### 5. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 4th July 2026 to Friday, 10th July 2026** (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Dividend, if declared by the Shareholder at the Annual General Meeting.

### 6. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/ unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2015-16 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2021-22, the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: <https://eremit.unionbankofindia.bank.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx>



### Notice of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting

Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link.

#### 7. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE / NOMINATION

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.,

- a. For shares held in electronic form: to their Depository Participants (DPs).
- b. For shares held in physical form: to the Bank /Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA) in prescribed **Form ISR-1** and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD\_POD-1/P/ CIR/2023/37 dated March 16, 2023. The Bank has sent letters along with Business Reply Envelopes (BRE) for furnishing the required details.
- c. As per the provisions of the said SEBI Circular, the facility for making nomination is available for the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting **Form No. SH-13**. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/ she may submit the same in **Form ISR-3 or SH-14** as the case may be. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held by them in dematerialized form and to Bank's RTA in case the shares are held in physical form.

The address of Bank's RTA:

**KFin Technologies Ltd.,**  
Unit: Union Bank of India,  
Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,  
Financial District, Nanakramguda,  
Hyderabad - 500 032.  
Tel. No.: 040 – 67162222.

- d. The said forms are available on the website of the Bank at <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information>
- e. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.

- f. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

#### 8. ISSUANCE OF SECURITIES IN DEMATERIALIZED FORM IN CASE OF INVESTOR SERVICE REQUESTS AND SIMPLIFICATION OF PROCEDURES FOR TRANSMISSION OF SHARES

Members may please note that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 read with HO/38/13(3)2026-MIRSD-POD/1/3763/2026 dated January 30, 2026 has mandated the Listed Entities to issue securities in dematerialized form only while processing the following service requests viz.

- Issue of duplicate securities certificate;
- claim from unclaimed suspense account;
- renewal/ exchange of securities certificate;
- endorsement;
- sub-division/splitting of securities certificate;
- consolidation of securities certificates/folios;
- transmission and transposition.

Accordingly, Members are requested to make the said service requests by submitting a duly filled and signed **Form ISR - 4**, the format of which is available on the Company's website at <https://www.unionbankofindia.bank.in/en/common/shareholders-information> It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant. Shareholders are also requested to follow the procedure as simplified by SEBI with regard to transmission of shares.

#### 9. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – KFin Technologies Limited immediately of:

- a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

#### 10. COPIES OF ANNUAL REPORT

As allowed by the authorities, copies of the Annual Report 2025-26 in physical form shall not be dispatched

and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email IDs with the Bank or with Depository Participant. The Annual Report will also be hosted on the websites of the Bank and the Stock Exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or Depository Participant in case of shares in demat form, for updation of email id.

## 11. CUT OFF/ RECORD DATE

### FOR E-VOTING:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, voting rights of the shareholders in respect of business Item nos. 1 to 5 shall be reckoned as on cut-off date i.e., **Friday, 3<sup>rd</sup> July 2026**.

## 12. PAYMENT OF DIVIDEND

If the dividend, as recommended by the Board of Directors, is declared at the AGM, payment of such dividend subject to Tax Deduction at Source will be made from **Monday, 20<sup>th</sup> July 2026** onwards as under:

- To all Beneficial Owners in respect of shares held in dematerialized form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited ("NSDL") and the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), collectively "Depositories", as of end of day on **Friday, 3<sup>rd</sup> July 2026**.
- To all Members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Bank as of the close of business hours on **Friday, 3<sup>rd</sup> July 2026**.

Pursuant to the Finance Act, 2026, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2026 and the Bank is required to deduct tax at source under section 393 (1) of the Income Tax Act, 2025 from dividend paid to shareholders (except exempt category of shareholders) at the prescribed rates against payment of Dividend more than ₹ 10,000 per shareholder (for resident individual shareholder) on PAN basis. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Income Tax Act, 2025 and the amendments thereof. The shareholders are requested to update their valid PAN with the DPs (if shares held in dematerialized form) and the Bank/Bank's RTA (if shares are held in physical form).

## 13. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights

in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Friday, 3<sup>rd</sup> July 2026** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible to vote.

## 14. INFORMATION ON ACCOUNTS AND OTHER RELATED QUERIES

Shareholders seeking any information on the Accounts and other related queries are requested to write to the Bank by email at [investorservices@unionbankofindia.bank.in](mailto:investorservices@unionbankofindia.bank.in) which should reach the Bank before the date of the AGM latest by **5 PM on Wednesday, 8<sup>th</sup> July 2026** so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only during the AGM. Please note that members' questions will be answered only if they continue to hold shares as on cut-off date i.e. **Friday, 3<sup>rd</sup> July 2026**.

Alternatively, Shareholders holding shares as on cut-off date may also visit <https://emeetings.kfintech.com> and click on "**post your queries here**" to post the relevant queries/view/questions. The window shall be activated during remote e-voting period and shall be closed by **5 pm on Wednesday, 8<sup>th</sup> July 2026**

## 15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

SEBI vide its notification dated January 24, 2022 has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Members can contact the Bank or Bank's RTA for assistance in this regard.

## 16. BUSINESS SET OUT IN THE NOTICE WILL BE TRANSACTED THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM AND THE BANK IS PROVIDING FACILITY FOR VOTING BY ELECTRONIC MEANS:

- Pursuant to the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on

**Notice of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting**

General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (“ICSI”) and Regulation 44 of Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted during the AGM and facility for those Members participating in the AGM to cast vote through e-voting system during the AGM.

- ii. The facility for voting shall also be made available during the AGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.
- iii. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- iv. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system (“remote e-voting”) during the prescribed time prior to AGM and voting during AGM will be provided by service provider KFintech.
- v. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 7<sup>th</sup> July 2026 (9:00 am IST)** and ends on **Thursday, 9<sup>th</sup> July 2026 (5:00 pm IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the

Cut-Off Date of **Friday, 3<sup>rd</sup> July 2026** may cast their vote by remote e-voting for business Item nos. 1 to 5. The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

- vi. Any person who becomes a member of the Bank after sending notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. **Friday, 3<sup>rd</sup> July 2026**, may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below by sending email to Bank at [investorservices@unionbankofindia.bank.in](mailto:investorservices@unionbankofindia.bank.in) along with authentic proof of shareholder or to write to KFintech at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) sufficiently before closing of the remote e-voting i.e. **before 5.00 pm on Thursday, 9<sup>th</sup> July 2026**.
- vii. The process and the manner for remote e-voting and e-voting during AGM is as under:

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in **Demat mode** are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

**Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through Depositories.**

NSDL	CDSL
<b>1. User already registered for IDeAS facility:</b>	<b>1. Existing user who have opted for Easi / Easiest</b>
I. URL: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>	I. URL: <a href="https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasitoken/home/login</a>
II. Click on the “Beneficial Owner” icon under ‘IDeAS’ section.	or URL: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a>
III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on “Access to e-Voting”	II. Click on New System Myeasi
IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	III. Login with user id and password.
	IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication.
	V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
<b>2. User not registered for IDeAS e- Services</b>	<b>2. User not registered for Easi/Easiest</b>
I. To register click on link : <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>	I. Option to register is available at <a href="https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration">https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration</a>
II. Select “Register Online for IDeAS”	II. Proceed with completing the required fields.
III. Proceed with completing the required fields.	
<b>3. User not registered for IDeAS e-Services</b>	<b>3. By visiting the e-Voting website of CDSL</b>

- |  |   |
|--|---|
| <p>I. To register click on link :<br/> <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></p> <p>II. Proceed with completing the required fields.</p> | <p>I. URL: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a></p> <p>II. Provide demat Account Number and PAN No.</p> <p>III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile &amp; Email as recorded in the demat Account.</p> <p>IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP (E-voting Service Provider) where the e-Voting is in progress.</p> |
|--|---|



#### 4. By visiting the e-Voting website of NSDL

- I. URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- II. Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.
- III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.
- IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.
- V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.



#### Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depositories i.e. NSDL and CDSL

#### Members facing any technical issue - NSDL

Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 2244 30

#### Members facing any technical issue - CDSL

Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact at 022-62343626, 022-62343624 or 022-62343611.



### Notice of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting

#### Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through their Depository Participants.

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

#### Login method for Non-Individual Shareholders and Shareholders holding securities in Physical Form

- a. Initial Password is provided in the body of the email.
- b. Launch internet browser and type the URL: <https://evoting.kfintech.com> in the address bar.
- c. Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No. /DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFintech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,\$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Union Bank of India.
- h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- i. Click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login

multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.

- j. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
- k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory (ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at [mail@csraginichokshi.com](mailto:mail@csraginichokshi.com) and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'EVEN.....'
- viii. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and evoting manual available at <https://evoting.kfintech.com> under help section or call on 1800.309.4001 (toll free).
- ix. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to KFintech or send an email to [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) or call 1800.309.4001 (Toll Free).
- x. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **Friday, 3<sup>rd</sup> July 2026** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
- xi. In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of KFintech, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- xii. Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.
- xiii. Ms. Ragini Chokshi or Mr Uma Shankar Hegde of M/s Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote evoting process in a fair and transparent manner.
- xiv. The Chairman/Chairperson of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those

shareholders who are participating in the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.

- xv. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, within two working days of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman/Chairperson of the Meeting or any other person authorised by him/her in writing.

#### 17. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of remote e-voting and e-voting during the AGM along with the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. [www.unionbankofindia.bank.in](http://www.unionbankofindia.bank.in) and on the website of Kfintech i.e. <https://evoting.kfintech.com>. The voting results and consolidated scrutinizer's report shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE & NSE.

#### 18. SCRUTINISERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for e-voting, Ms. Ragini Chokshi or Mr. Uma Shankar Hegde of M/s Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the business Items. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

#### 19. OUTCOME OF MEETING

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolution(s).

#### 20. RECORDED TRANSCRIPT

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank [www.unionbankofindia.bank.in](http://www.unionbankofindia.bank.in) under Investor Relations section as soon as possible.



**Notice of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting**

## EXPLANATORY STATEMENT

### ITEM NO.3:

#### Raising of Capital:

The Bank is in the business of the Banking and related services activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is Rs. 10,000 crore. The paid-up equity share capital of the Bank as on 31<sup>st</sup> March 2026 was ₹ 7,633.60 Crore.

Shareholding of Government of India in the Bank is **74.76%** of the total paid-up capital of the Bank. The capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2026 was as under:

Capital Adequacy Ratios - Basel III			
(₹ in Crore)			
Parameters	RBI Minimum Benchmark March 31, 2026	March 31, 2026	March 31, 2025
Total Risk Weighted Assets		7,03,920	7,03,920
Total Capital Funds		1,26,825	1,26,825
CET 1 Capital	NA	1,05,465	1,05,465
Tier 1 Capital		1,14,336	1,14,336
CRAR (%)	11.50	18.02	18.02
CET 1 (%)	8.00	14.98	14.98
Tier 1 (%)	9.50	16.24	16.24
Tier 2 (%)	NA	1.77	1.77

*Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (Capital Conservation buffer) of 2.50 per cent in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios. There is no minimum for Tier II ratio.*

In order to maintain the Capital and Leverage Ratio requirements under the Basel III guidelines for expansion of business assets and based on the estimated growth, your Directors have decided to raise the Capital up to ₹ **8,000 Crore (Rupees Eight Thousand Crore Only)**.

In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes, the Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. Further Public Offer) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placement and/or Employee Stock Purchase Scheme and/or Preferential Allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The Bank may also raise such number of perpetual debt instruments, Non-convertible debentures including but not limited to Sub-ordinated Debentures, Bonds and / or other debt securities / Green Bonds etc. on private placement / public issue basis in one or more tranches which may classify for Tier-1 or Tier-2 Capital as identified and classified by RBI and in compliance with the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.

The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise as far as equity shares are concerned. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board of Directors on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares/ Bonds at an appropriate time, mode and other terms. This proposed resolution once passed it will supersede the resolution already passed in similar line, by the shareholders of the Bank in its Annual General Meeting held on 01<sup>st</sup> August 2025.

The proposed issuance of Equity Shares and or Bonds in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the Resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

#### Item No. 4:

#### Reappointment of Shri Nitesh Ranjan (DIN: 08101030) as Executive Director of the Bank

Shri Nitesh Ranjan (DIN: 08101030) was appointed by the Govt. of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 4/3/2020-BO.I dated 10<sup>th</sup> March 2021 for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 10<sup>th</sup> March 2021 or until further orders, whichever is earlier. Further, as per Govt. of India notification dated 18<sup>th</sup> September 2023, the term of

Shri Nitesh Ranjan has been extended for a period of two years beyond his term expired on 09.03.2024, i.e. upto 09.03.2026 or until further orders, whichever is earlier. Further, as per Govt. of India Notification no. eF. No. 4/4(xi)/2024 dated 15<sup>th</sup> September 2025, the term of office of Shri Nitesh Ranjan has been extended for a period of three years beyond his notified term ended on 09.03.2026 i.e. upto 09.03.2029 or until further orders, whichever is earlier.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C)a and Regulation 17(1D) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment or reappointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for reappointment of Shri Nitesh Ranjan as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

As Executive Director of the Bank, Shri Nitesh Ranjan currently looks after Treasury, Human Resources and Learning & Development, Information Technology, Digitization, Digital Business, Support Services Department & Corporate Communication and Procurement Department. He is driving the Bank's digital transformation and leading strategic initiatives for balance sheet optimization, customer experience and people development. While steering business outcomes, he emphasizes on continuous strengthening of risk and compliance standards.

Associated with Union Bank of India since 2008, he has held key positions including Head of Treasury Operations & Strategy, Chief Investor Relations Officer, Chief Economist, and Regional Head. He began his career with the Food Corporation of India as a management trainee and later worked with Andhra Bank.

He is a member of the IBA Steering Committee on PSB Reforms. Previously, he served on the boards of NPCI, SUD Life Insurance Company, SWIFT India, SBI Global Factors Ltd, and FIMMDA and was a founding member of the India Forex Committee (IFXC).

Shri Ranjan holds a postgraduate degree in Economics and has also completed the Leadership Development Programme of IIM Bangalore. He has also contributed to social initiatives, dedicating 100 days to Teach India's Spoken English Programme for underprivileged youth.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL

- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: 6725 equity shares
- The skills/expertise/capabilities of Shri Nitesh Ranjan as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Nitesh Ranjan, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

#### Item No. 5:

#### Reappointment of Shri Ramasubramanian S (DIN: 08747165) as Executive Director of the Bank

Shri Ramasubramanian S (DIN: 08747165) was appointed by the Govt. of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 4/6/2021-BO.I dated 21<sup>st</sup> November 2022 for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 21<sup>st</sup> November 2022 or until further orders, whichever is earlier. Further, as per Govt. of India Notification no. eF. No. 4/4(ii)/2024 dated 15<sup>th</sup> September 2025, the term of office of Shri Ramasubramanian S has been extended beyond his notified term which was on 20<sup>th</sup> November 2025, till the date of his superannuation i.e. 30<sup>th</sup> June 2027 or until further orders, whichever is earlier.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment or reappointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the reappointment of Shri Ramasubramanian S as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

As Executive Director of the Bank, Shri Ramasubramanian S currently looks after Retail, MSME, Agriculture, RuSu & FI and Gold, Stressed Asset Management Vertical, Board Secretariat, Strategy, Subsidiaries & Joint Ventures including ACoE, Central Repository & MIS, EASE and CEA (Banking Research) Department.

**Notice of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting**

Prior to joining Union Bank of India, Shri Ramasubramanian S was Chief General Manager of Canara Bank. He has to his credit more than 28 years of rich experience in various facets of Banking like Corporate Credit, MSME/Retail Credit, International Credit and forex. He holds a Bachelor degree in Science along with CAIIB qualification.

Throughout his banking career, he has worked at different locations and branch categories including Prime Corporate Credit Wing, Large Corporate, Mid Corporate Branches and Hong Kong Branch of Canara Bank and administrative offices including Head Office.

He is one of the Top Executive Grade officers who underwent Leadership Development Strategy Program organized by Financial Services Institutions Bureau (erstwhile Banks Board Bureau). He was in the standing Committee for Corporate Credit of IBA. He is also nominated to participate in Kamath Committee on COVID related loan Restructuring. He is well versed in operations and administration equally.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: NIL
- The skills/expertise/capabilities of Shri Ramasubramanian S. as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Ramasubramanian S, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

**Item No. 6:****Appointment of Shri Asheesh Pandey (DIN: 09295107) as Managing Director and CEO of the Bank**

Shri Asheesh Pandey (DIN: 09295107) was appointed by the Govt. of India as the Managing Director & CEO of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 4/3 (i)/2024-BO.I dated 30<sup>th</sup> September 2025 for a period of three years from the date of assumption of charge of the office i.e. 30<sup>th</sup> September 2025

or until further orders, whichever is earlier. Accordingly, Shri Asheesh Pandey holds the position of Managing Director & CEO on the Board of the Bank effective 30<sup>th</sup> September 2025.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Asheesh Pandey as Managing Director & CEO of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Shri Asheesh Pandey is a seasoned Banker with experience of more than 27 years. He started his career from erstwhile Corporation Bank. Prior to assuming the current position, he worked as an Executive Director of the Bank of Maharashtra and Chief General Manager of the Union Bank of India.

Shri Pandey has an experience of handling diverse portfolio ranging from Credit, Credit Monitoring, Treasury & Merchant Banking, Foreign Transactions & Joint Ventures, Marketing & Customer Relationships and Banking Operations. Being a Tech-Savvy banker, he has played a key role in successful digital banking transformation by adopting ideations and innovations. He has also played an important role in the re-engineering, harmonization, automation and digitization during amalgamation of e-Andhra Bank and e-Corporation Bank with Union Bank of India.

Shri Pandey is a Mechanical Engineer and also holds Post Graduation in Management with specialisation in Finance & Marketing. He is an alumnus of Indian Institute of Management – Bangalore. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. Shri Pandey has also completed Executive Program in Strategic Digital Marketing & Analytics - 2023 by IIM, Rohtak and Directors Development Program-2023 by Egon Zehnder in collaboration with Harvard Business Publishing. He has also completed Leadership Development Program for Senior Management of PSBs conducted by IIM Bangalore as well as program on IT & Cyber Security for Senior Management conducted by IDRBT, Hyderabad.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: 4500 equity shares

- The skills/expertise/capabilities of Shri Asheesh Pandey as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Asheesh Pandey, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

#### Item No. 7:

Appointment of Shri Amresh Prasad (DIN: 11522143) as Executive Director of the Bank

Shri Amresh Prasad (DIN: 11522143) was appointed by the Govt. of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. eF.No. 4/4(iii)/2024-BO.I dated 24<sup>th</sup> November 2025 for a period of three years from the date of assumption of charge of the office i.e. 24<sup>th</sup> November 2025 or till the date of his attaining the age of superannuation i.e. 31<sup>st</sup> October 2028 or until further orders, whichever is earlier. Accordingly, Shri Amresh Prasad holds the position of Executive Director on the Board of the Bank effective 24<sup>th</sup> November 2025.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Amresh Prasad as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Prior to assuming the office as the Executive Director of Union Bank of India, Shri Amresh Prasad was the Chief General Manager of Punjab National Bank posted at Corporate office.

He has rich banking experience of over 32 years from branch banking, Zonal Offices to Head Office level, which includes Corporate Credit, Credit Review and Monitoring, Transaction Monitoring etc.

He is a graduate in Chemistry and Certified Associate from Indian Institute of Bankers (CAIB).

Shri Prasad has attended various training and Leadership Development Programs and has taken part in Leadership Development Program at SBIL Kolkata. He has also completed

Aarohan 2023 FSIB Program conducted by Financial Services Institution.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: NIL
- The skills/expertise/capabilities of Shri Amresh Prasad as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Amresh Prasad, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

#### Item No. 8:

Appointment of Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471) as Government Nominee Director of the Bank

Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471) was nominated by the Govt. of India as the Government Nominee Director of the Bank under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF. No. 6/2(v)/2022-BO. I dated 13<sup>th</sup> May 2026 from the date of notification i.e. 13<sup>th</sup> May 2026 and until further orders. Accordingly, Dr. Debasish Prusty holds the position of Government Nominee Director on the Board of the Bank effective 13<sup>th</sup> May 2026.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C)a of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Dr. Debasish Prusty as Government Nominee Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Dr. Debasish Prusty is a member of the Indian Administrative Service and now serving as the Additional Secretary in the Department of Financial Services in the Union Ministry of Finance in the Government of India. He has more than 26 years of experience in the designing and implementing policies in the realm of Public Finance, Sustainable Development, and

**Notice of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting**

Development Cooperation and Environmental and Urban Governance.

He had contributed to India's initiative for collaboration and partnership with various countries to launch the International Solar Alliance (ISA) platform in the year 2015 when he was the Director in the Climate change division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in Government of India.

In the international negotiations in the conference of parties held under the United Nations Conference on Climate Change (UNFCCC) he had represented India's negotiating team. He was a member of the standing committee on Finance of the UNFCCC in 2016.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: NIL

- The skills/expertise/capabilities of Dr. Debasish Prusty as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly nomination of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Dr. Debasish Prusty, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Special Resolution for your approval.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

**By order of the Board of Directors  
For UNION BANK OF INDIA**

**Place : Mumbai  
Date: 17.06.2026**

**(Ashish Mishra)  
Company Secretary**